कार्यालय, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)

पत्रांक 71 / न0पा0 / क0वि0 / 2017 दिनांक 21 जौलाई, 2017

नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद) द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका, अधिनियम–1916 की धारा 293, 298(घ) (समार्जन), 300 के अन्तर्गत अपनी सीमा में स्थित भवनों से नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत कूडा उठाने हेतु यूजर चार्जेज उपविधि बनायी गयी हैं, जिसे नगर पालिका परिषद, मोदीनगर की बैठक दिनांक 29–04–2017 को प्रस्ताव सं0–11 के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जो कि राजकीय गजट में प्रकाशन की दिनांक से लागू होगी। उक्त उपविधि पर यदि कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को लिखित रुप में प्राप्त कराये, समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा।

प्रस्तावित यूजर चार्जेज उपविधि 2017

1. (1) उपविधि नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद), **यूजर चार्जेज उपविधि 2017** कही जायेगी।
(2) यह नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की सीमा में लागू होगी।
(3)– यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवत्त होगी।

2– परिभाषाये–

(क) **"नगर पालिका परिषद"** नगर पालिका परिषद का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद) से है।

(ख) **"यूजर चार्जेज क्षेत्र"** यूजर चार्जेज क्षेत्र से तात्पर्य नगर पालिका परिषद मोदीनगर, की सीमा से है व भविष्य में विस्तारण के फलस्वरुप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेगी।

3– **"अधिशासी अधिकारी"** अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद मोदीनगर (गाजियाबाद) से है।

4– **"प्राधिकृत अधिकारी"** प्राधिकृत अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद मोदीनगर (गाजियाबाद) के उन अधिकारियों से है जिसे अधिशासी अधिकारी समय–समय पर इन उपविधियों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करे।

5– **"यूजर चार्जेज शुल्क"** यूजर चार्जेज शुल्क का तात्पर्य उस चार्ज से है जो नगर पालिका परिषद, मोदीनगर की सीमा में अधिशासी अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, मोदीनगर की किन्हीं सेवाओं / संसाधनों के प्रयोग के बदले वसूल किया जायेगा।

6– यूजर चार्ज इस शुल्क उपविधि के नियम 12 के अन्तर्गत दर्शायी गयी तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार वसूल किया जायेगा।

7– यूजर चार्ज नगर पालिका परिषद, मोदीनगर के कर्मचारी या इस कार्य हेतु निर्धारित एजेन्सी द्वारा वसूल किया जायेगा। बिना रसीद कोई शुल्क प्राप्त नही किया जायेगा। रसीद में दिनांक, मास व वर्ष एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख होगा। शुल्क भुगतानकर्ता का यह कर्त्तव्य होगा कि वह रसीद को अपने पास सुरक्षित रखे और नगर पालिका परिषद मोदीनगर के पदाधिकारियों एवं अधिकार प्राप्त कर्मचारियों के मांगने पर तुरन्त प्रस्तुत करें ऐसे अधिकारी निरीक्षण के उपरान्त रसीद वापस कर देंगे। पालिका परिषद, के कर्मचारियों द्वारा लिया गया शुल्क अपने कार्य दिवस में प्रत्येक दशा में नगर पालिका परिषद, मोदीनगर जमा किया जायेगा जिसकी चेकिंग समय–समय पर अधिशासी अधिकारी / उनके द्वारा नामित अधिकारी अथवा लेखाकार द्वारा किया जाया करेगी।

8– पालिका प्रत्येक कालोनी में कंटेनर उपलब्ध करायेगी।

9– भवन स्वामी अपने भवन का कूडा कंटेनर में डालेगा।

10–यूजर चार्ज आवासीय / अनावासीय भवनों के परिसर का कंटेनर से कूडा उठाने की व्यवस्था के लिये वसूल किया जायेगा।

11–यूजर चार्जेज भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

12– वह वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं के घर में आवासित हो एवं शारीरिक अथवा मानसिक रुप में अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नि के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारीजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको यूजर चार्ज से मुक्त रखा जायेगा परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पालिका परिषद मोदीनगर से इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा। नगर मे जिस परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होगी उसका प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर वसूली / निःशुल्क करने हेतु पालिका बोर्ड को निर्णय करने का अधिकार होगा।

13– नगर पालिका परिषद, मोदीनगर की सेवाओं / संशोधनों के प्रयोग के लिये निर्धारित यूजर चार्ज।

आवासीय / अनावासीय भवनों के परिसर का कूडा उठाने की व्यवस्था

आवासीय	विवरण	दर / प्रतिमाह
श्रेणी क	गृहकर से छूट वाले परिवार	10.00
श्रेणी ख	200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई	20.00

श्रेणी ग	200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय ईकाई	30.00
श्रेणी घ	हाउसिंग सोसाईटी, अपार्टमैन्ट प्रति फ्लैट	30.00
श्रेणी ड.	यात्री धर्मशालाये	मुक्त
अनावासीय / व्यवासायिक		
श्रेणी क	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	20.00
श्रेणी ख	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान	30.00
श्रेणी ग	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सैन्टर 100 छात्र एवं छात्राये तक	20.00
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सैन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्राये तक	30.00
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सैन्टर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्राये	40.00
श्रेणी घ	इंजीनियरिंग कालेज, मैडिकल कालेज, मैनेजमैन्ट कॉलेज एवं प्राईवेट स्नातक / स्नातकोत्तर कालेज, सैन्टर शॉपिग कम ऑफिस कॉम्पलैक्स, प्राईवेट शिक्षा संस्थाओं के हास्टल	100.00
श्रेणी ड.	बैंक कार्यालय, एल.आई.सी. कार्यालय आदि एवं गेस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक	100.00
श्रेणी च	मैरिज होम, माल्स, बैक्विट हाल, क्लब, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट होटल 10 कमरों से अधिक	500.00

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद मोदीनगर निश्चय करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दंण्डनीय अपराध होगा जो रुपये 1000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पालिका परिषद, मोदीनगर के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है रुपये 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रति दिन अर्थ दण्ड लिया जायेगा।

26/07/17 — (अंकित कुमार) कर निरीक्षक

26-07-17 — (अनुज कौशिक) अधिशासी अधिकारी

सरोज शर्मा — (सरोज शर्मा) अध्यक्ष

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2 अपर जिलाधिकारी, प्रशासन/वित एवं राजस्व गाजियाबाद।
3 प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, गाजियाबाद।
4 डा0 श्री सत्यपाल सिंह मा0 सांसद/पदेन सदस्य मोदीनगर।
5 डा0 मन्जू शिवाच मा0 विधायक/पदेन सदस्य मोदीनगर।
6 उपजिलाधिकारी, मोदीनगर।
7 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी, मुरादनगर।
8 समस्त सदस्यगण, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर
9 श्री अंकित गोयल, कम्प्यूटर प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को नगर पालिका की वैबसाईट www.nppmodinagar.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
9 सम्पादक युग करवट, व विधान केसरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना आगामी प्रकाशित होने वाले अंक में न्यूनतम स्पेस व धनराशि में केवल एक बार प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11 कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु।

26-07-17
(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी